भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 612
उत्तर देने की तारीख: 04.02.2026

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना

612. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है;
(ख) विशेष रूप से तमिलनाडु में संस्वीकृत, जारी एवं उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा लाभान्वित छात्रों की संख्या कितनी है;
(ग) निधि संवितरण और छात्रों के चयन के मानदंड और निधि संवितरण और कोचिंग उपलब्ध कराने में किसी भी कमी या विलंब को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने, समय से निधि जारी करने तथा पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (एफसीएस) के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, यह योजना डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा पैनलबद्ध 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केन्द्र (डीएसीई) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (एफसीएस) के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इसलिए राज्य/जिला-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष

2024-25 के दौरान तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर सहित पैनलबद्ध विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वीकृत की गई निधियों का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की जांच (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्रों का चयन करते हैं जबकि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। यह विभाग और डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन समय पर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा पाठ्यक्रम शुल्क और वजीफा जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करते हैं, जिससे व्यापक पहुंच और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है।

देश भर में इन योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता सृजित करने और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, इस विभाग ने अनेक उपाय किए हैं जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, सोशल मीडिया अभियान चलाना, विभाग की वेबसाइट पर योजना के दिशानिर्देश अपलोड करना, योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करना। साथ ही, विभाग द्वारा हितधारकों के साथ क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से और यादृच्छिक रूप से चुने गए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करके इस योजना की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

संलग्नक-I

"अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 612 जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल
3.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
4.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
5.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
6.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
7.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
8.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
9.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
10.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर
11.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
12.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
13.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
14.	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड
15.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ
16.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
19.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

संलग्नक-II

"अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 612 जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	0.62	100
2.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल	1.10	100
3.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर	0.82	73
4.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।	कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।
5.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला	0.95	85
6.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।	कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।
7.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1.21	100
8.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	1.01	93
9.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा	1.04	100
10.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर	1.08	93
11.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।	कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।
12.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर	1.18	96
13.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	0.98	91
14.	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड	1.50	193
15.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ	0.96	93
16.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	0.96	78
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	0.78	66
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	1.01	94
19.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।	कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।

*****